

कार्यालय तहसीलदार.....कन्वा..... जिला वासी (राजस्थान) परिशिष्ट 'ख'

राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का होने तथा क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नही होने के

प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

रजिस्ट्रेशन सं० 653

दिनांक 15/07/14

यह प्रमाणित किया जाता है कि :
1. श्री / श्रीमती / कुमारी देवेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र / पुत्री अयु सिंह चौधरी
राजस्थान राज्य के जिला वासी में ग्राम / नगर वीरगिरी
की निवासी हैं तथा ये / और या इनका कुटुम्ब यहां स्थाई रूप से निवास करता / करती / करते है।

2. उक्त श्री / श्रीमती / कुमारी देवेन्द्र सिंह चौधरी राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं० प०११ (१६४) आर एण्ड पी / एसजेईडी / ०९ / ४७०३२ दिनांक २५.८.२००९ से अधिसूचित राजस्थान राज्य के पिछड़े वर्गों की अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से ओर की वर्ग / जाति के / की सदस्य हैं।

3. उक्त श्री / श्रीमति / कुमारी देवेन्द्र सिंह चौधरी आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-२) विभाग की अधिसूचना संख्या प/७(८) कार्मिक/क-२/२००८ दिनांक २५.८.२००९ में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का की नहीं हैं।



(Handwritten signature)

सक्षम अधिकारी का समना हस्ताक्षर
कार्यालय की तहसीलदार (राजस्थान) जिला वासी सोल सहित

(राज्य के पिछड़े वर्गों लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)